## न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
## पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस

राजस्व अपील :: 6/2026
जीसीएमएस नम्बर :: 2026/30

अपीलाण्ट्स :– बनाम रेस्पोडेण्ट्स :–

**अपीलाण्ट्स :–**

1. कन्हैयालाल पुत्र श्री बींजराज जाति ब्राह्मण निवासी – ग्राम डेण्डा, तहसील पाली जिला पाली हाल निवासी 266, रजत नगर रामदेव रोड़ पाली जिला पाली
2. मनोहर लाल पुत्र श्री बींजराज जाति ब्राह्मण निवासी – ग्राम डेण्डा, तहसील पाली जिला पाली हाल निवासी 266, रजत नगर रामदेव रोड़ पाली जिला पाली
3. शोभा पत्नी श्री बींजराज जाति ब्राह्मण निवासी – ग्राम डेण्डा, तहसील पाली जिला पाली हाल निवासी 266, रजत नगर रामदेव रोड़ पाली जिला पाली
4. उगमराज पुत्र श्री हनुमान जाति ब्राह्मण निवासी – ग्राम डेण्डा, तहसील पाली जिला पाली हाल निवासी 254, रजत नगर रामदेव रोड़ पाली जिला पाली
5. बाबूलाल पुत्र श्री हनुमान जाति ब्राह्मण निवासी – ग्राम डेण्डा, तहसील पाली जिला पाली हाल निवासी 206, रजत नगर रामदेव रोड़ पाली जिला पाली
6. राधेश्याम पुत्र श्री हनुमान जाति ब्राह्मण निवासी – ग्राम डेण्डा, तहसील पाली जिला पाली

अपीलाण्ट संख्या 01 लगायत अपीलाण्ट संख्या 06 जरिये आममुख्तियार श्री दीपक पंचारिया पुत्र श्री उगमाराम जाति ब्राह्मण

**रेस्पोडेण्ट्स :–**

1. श्री बाबूसिंह राजपुरोहित पुत्र श्री किशोरसिंह राजपुरोहित जाति राजपुरोहित, निवासी 33, गायत्री नगर सुमेरपुर रोड़ तहसील पाली
2. श्री दिनेश कुमार जोशी पुत्र श्री शंकरलाल जाति बाह्मण, निवासी – 1 नाडी मोहल्ला, पाली तहसील व जिला पाली
3. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार पाली।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलक्टर, पाली

निवासी 259 रजत नगर
रामदेव रोड़ पाली तहसील
व जिला पाली।

**राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956**

उपस्थित :— अपीलाण्ट संख्या 01 लगायत अपीलाण्ट संख्या 06 की ओर से उनके आम मुख्तियार श्री दीपक पंचारिया
रेस्पो. संख्या 01 व रेस्पो. संख्या 02 स्वयं

—:: नि र्ण य ::—

दिनांक :— 17.02.2026

अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के विरूद्व मौजा ग्राम डेण्डा, पटवार हल्का डेण्डा, भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रूपावास, तहसील पाली जिला पाली कें स्वतः स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 5288 दिनांक 04.02.2026 को निरस्त कराने हेतु पेश की गई। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलाण्ट संख्या 01 लगायत अपीलाण्ट संख्या 06 की ओर से उनके आम मुख्तियार श्री दीपक पंचारिया एवं रेस्पो. संख्या 01 व रेस्पो. संख्या 02 वक्त बहस स्वयं उपस्थित। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलाण्ट के मुख्तियार ने वक्त बहस अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि सरहद मौजा राजस्व ग्राम डेण्डा, पटवार हल्का डेण्डा, भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रूपावास, तहसील पाली जिला पाली की सरहद में स्थित खसरा संख्या 1759/520 रकबा 0.7560 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1760/520 रकबा 0.7559 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1761/520 रकबा 0.7559 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 1762/520 रकबा 0.7560 हैक्टेयर भूमि अपीलाण्ट की खातेदारी दर्जशुदा थी। अपीलाण्ट संख्या 01 लगायत अपीलाण्ट संख्या 06 ने उक्त खसरान् में से अपनी खातेदारी दर्जशुदा भूमि में से आधा हिस्सा अर्थात् ऊपर वर्णित खसरान् के रकबे का आधा हिस्सा अर्थात् प्रत्येक खसरा के रकबा में से रकबा 0.3246 हैक्टेयर भूमि जरिये पंजीबद्व विक्रय—विलेख दिनांक 04.02.2026 को बेचान कर दिया। उक्त दस्तावेज के विपरीत जैर अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वतः स्वीकृत हुआ परन्तु उक्त जैर अपीलाधीन

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलक्टर, पाली

नामान्तरकरण में रेस्पोडेण्ट के नाम अपीलाण्ट की सम्पूर्ण भूमि का आधा–आधा हिस्सा दर्ज हो गया, जिससे अपीलाण्ट की ऊपर वर्णित भूमि का सम्पूर्ण हिस्सा रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व रेस्पो. संख्या 02 के नाम दर्ज हो गया, जो विधि विरूद्ध है। अतः जैर अपीलाधीन नामान्तरकरण विधि विरूद्ध होने से खारिज फरमावे।

अपीलाण्ट की बहस सुनी गई। श्रवणसुदा बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया तो यह पाया कि हस्ब पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 04.02.2026 द्वारा अपीलाण्ट ने अपने हिस्से की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1759/520 रकबा 0.7560 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1760/520 रकबा 0.7559 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1761/520 रकबा 0.7559 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 1762/520 रकबा 0.7560 हैक्टेयर भूमि में से प्रत्येक खसरा में से आधे रकबे की भूमि का बेचान रेस्पो. संख्या 01 व रेस्पो. संख्या 02 को किया। उक्त जैर पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 04.02.2026 के विरूद्ध स्वीकृत जैर अपीलाधीन नामान्तरकरण में अपीलाण्ट की ऊपर वर्णित खसरा के आधे हिस्से के स्थान पर सम्पूर्ण रकबे का अंकन रेस्पो. संख्या 01 व रेस्पो. संख्या 02 के नाम अंकन हो गया, जो प्रथम–दृष्ट्या त्रुटिपूर्ण है। अतः अपील–अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर जैर अपीलाधीन ग्राम डेण्डा, पटवार हल्का डेण्डा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रूपावास, तहसील पाली जिला पाली कें स्वतः स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 5288 दिनांक 04.02.2026 को अपास्त किया जाकर जैर प्रकरण तहसीलदार, पाली को प्रति–प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में हस्ब पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 04.02.2026 के अनुसार नव–सरे निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक **18.02.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलक्टर, पाली